Toppersnotes
Unleash the topper in you

IAS

सामान्य अध्ययन पेपर-II

भाग-I

SIERRA INNOVATIONS
Private Limited

EDITION - DEC 2019

Copyright © 2019 by **SIERRA INNOVATIONS PVT. LTD.**

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher. Breach of this condition is liable for legal action.

The moral right of the editor has been asserted.

Printed by SIERRA INNOVATIONS PVT. LTD. In India

For any complains, suggestions or feedback feel free to contact us on hello@toppersnotes.com

Head office -
Toppersnotes
SIERRA INNOVATIONS PVT. LTD.
52, Radha Mukut Vihar, Golyawas,
New Sanganer Road, Mansarovar, Jaipur,
Rajasthan-302020

MRP - 899/-

Website- www.toppersnotes.com
Email :- hello@toppersnotes.com

विषय सूची

विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
राजव्यवस्था	
1. परिचय	1
2. संविधान	6
3. संसदीय शासन प्रणाली	11
4. संघीय व्यवस्था	21
5. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ	27
6. उद्देशिका	34
7. संघ एवं राज्य	45
8. नागरिकता	54
9. मूलाधिकार	62
10. राज्य के नीति निदेशक तत्व	99
11. समान सिविल संहिता	107
12. मूल कर्तव्य	112
13. संविधान संशोधन	117
14. शक्ति– पृथ्थकरण का सिद्धांत	122
15. संघ : राष्ट्रपति	126
16. महान्यायवादी	172
17. संसद	175
18. संसदीय कार्यवाही	194
19. संसदीय समिति	214
20. राज्यः	217
21. भारतीय न्यायिक व्यवस्था	244
22. उच्च न्यायालय	252
23. जनहित याचिका	263
24. न्यायिक सक्रियता	266
25. न्यायालय की अवमानना	269
26. न्यायिक गतिशीलता के लिए उठाये गये कदम	273

27. स्थानीय सरकार	282
28. सहकारी समितियां	303
29. संघ – राज्य से संबंधित प्रावधान	305
30. अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन	314
31. संघ – राज्य संबंध	323
32. सातवीं अनुसूची के प्रमुख विषय	327
33. प्रशासनिक संबंध	329
34. वित्त आयोग	336
35. लोक सेवायें	341
36. निर्वाचन आयोग	346
37. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम	356
38. कुछ वर्गों के विषय में उपलब्ध	360
39. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	365
40. दल–बदल	369
41. संविधान का ऐतिहासिक परिपेक्ष्य	371
42. केन्द्रीय सतर्कता आयोग	383
43. केन्द्रीय सूचना आयोग	385
44. लोकपाल और लोकायुक्त	388
45. विनियामक आयोग	390
46. अर्ध–न्यायिक संस्थाएं	392
47. सूचना का अधिकार	397
48. लोकनीति	401
49. मंत्रालय एवं विभाग	404
50. विभिन्न देशों के संविधान की तुलना	**406**

राजव्यवस्था

Toppersnotes
Unleash the topper in you

संवैधानिक प्रावधान :-
वे प्रावधान जो संविधान में स्पष्ट वर्णित है।

असंवैधानिक प्रावधान :-
वे प्रावधान जो संविधान में वर्णित नहीं है और संविधान के विपरीत है।
- ये अमान्य होते हैं।
- प्रचलन में नहीं होते है।

गैर संवैधानिक प्रावधान :-
वे प्रावधान जो संविधान मे वर्णित नहीं हैं किन्तु संविधान मे वर्णित प्रावधानो का उल्लंघन भी नहीं करते है।
- ये मान्य होते हैं।
- ये प्रचलन में होते है।
- ये बीच-बीच उपयोग होते रहते है।

सांविधिक प्रावधान :-
वे प्रावधान जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा गठित किया जाए।

संविधि (statute) विधायिका द्वारा बनाई गई विधि

कार्यकारी :-
वे प्रावधान जो सरकार के आदेश। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से निर्मित है।

कुछ संकल्पनाएँ

Toppersnotes
Unleash the topper in you

राज्य (State) :-

भौगोलिक क्षेत्र
↓
निश्चित भू-भाग
जनसंख्या
सरकार
सम्प्रभुता (सर्वोच्च शक्ति) (बाह्य प्राधिकार विहीन)

देश / राष्ट्र = राज्य + निष्ठा

भारत एक राज्य है = संकल्पना
भारत एक राष्ट्र है = व्यवहारिक रूप में

सरकार :-

राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने वाली संस्था

राज्य का स्वरूप

पुलिस राज्य
⇓
अभिजात्य वर्ग ।। शासक वर्ग के हितों के लिए कार्य करना
⇓
Eg. स्वतंत्रता से पूर्व भारत

कल्याणकारी राज्य
Welfare State
शासितों के हितों के लिए कार्य करना
⇓
Eg. स्वतंत्रता के बाद भारत

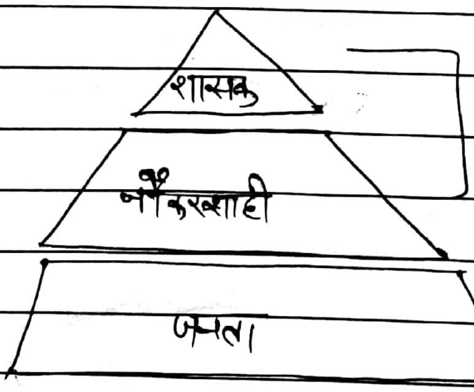

Elite Group अभिजात्य वर्ग
⇓
उच्च अधिकार प्राप्त समूह

Toppersnotes
Unleash the topper in you

सरकार लोगों के हितो के लिए कार्य कैसे करती है।

सरकार (कार्य) (शक्तियाँ)		संस्था	
	कानून बनाती	विधायिका	3 अंग
	कानून लागू करना	कार्यपालिका	
	न्याय प्रदान करना	न्यायपालिका	

नीति लागू करवाना | नीति बनाना ← शासन ← Act / Activity
सरकार
संकुचित अर्थ

- निर्वाचित
- कोई योग्यता
- अनिश्चित कार्यकाल

सरकार के अंग (व्यापक रूप में) →
- विधायिका
- कार्यपालिका
  - राजनैतिक कार्यपालिका (Ex. मंत्रिपरिषद)
  - प्रशासनिक कार्यपालिका (Ex. सिविल सेवकों का समूह)
- न्यायपालिका

प्रशासनिक कार्यपालिका → नौकरशाही (Bureaucracy)

नौकरशाही ⇒ Act / Activity → प्रशासन → नीतियों को लागू करना

- चयनित
- निश्चित योग्यता
- निश्चित कार्यकाल

शासन :-

सरकार जो कुछ करती है जिस विधि से करती है उसे शासन कहते है। इसके अंतर्गत नीतियाँ बनाना, निर्णय लेना व उन्हें लागू करना सम्मिलित किया जाता है।

प्रशासन :-

यह सरकार का कार्यकारी अंग है सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों निर्णयों आदि को लागू करना यह

Toppersnotes Unleash the topper in you

Toppersnotes
Unleash the topper in you

प्रशासन कहलाता है।

राजव्यवस्था संविधान - शासन

सरकार का अध्ययन → निर्माण, कार्य etc.

सरकार की क्रियाविधि (कार्यप्रणाली)

* राज्य व्यवस्था = राज्य के निर्माण etc. का अध्ययन
Politics / राजनीति = राज्य के लिए निर्मित की जाने वाली नीति
राजनेता = राजनीति का व्यवहार करने वाले
राजनीतिज्ञ = राजनीति का विशेष ज्ञान रखने वाले
Political science / राजनीति विज्ञान = राजनीति का अध्ययन करने वाला विषय।

स्रोत :—

NCERT - Class IX — XII (New)
भारत का संविधान = BARE Act
भारत का संविधान = डी. डी. बसु / बी. के. शर्मा
हमारी संसद - सुभाष कश्यप (प्रश्न काल शून्य काल)
- संसद में विधि बनाने की प्रक्रिया
- संसद में वित्तीय प्रक्रिया
- संसदीय समितियाँ
- समीक्षा

लक्ष्मीकांत - Only State Purpose
भारतीय राजनीतिज्ञ व्यवस्था - एम. एन. सईद
लोक प्रशासन - अवस्थी & माहेश्वरी - लोकनीति

Toppersnotes
Unleash the topper in you

Web site - pib.nic.in , india.gov.in , Preindia.org .

मैगजीन –
- योजना
- कुरुक्षेत्र

अन्य – वर्ल्ड फोकस (स्पेशल अंक)

अन्य मैगजीन –
- इण्डिया टुडे
- आउट लुक

समाचार पत्र –
- द हिन्दू
- दैनिक जागरण (राष्ट्रीय संस्करण)

संविधान

संविधान किसी देश की सर्वोच्च व मूलभूत विधि है जो सरकारी के गठन एवं कार्यों के विषय में जानकारी प्रदान करती है।

संविधान के प्रकार :-

1. लिखित :-
दस्तावेज के रूप में संविधान विद्यमान
Ex. भारत , U.S.A. etc.

2. अलिखित :-
दस्तावेज के रूप में संविधान न हो।
Ex. ब्रिटेन

Toppersnotes
Unleash the topper in you

भारत का संविधान

	भाग	अनुच्छेद	अनुसूची
मूलभाग संविधान	२२	395	8
वर्तमान संविधान	२५	460 से अधिक	१२

अनुसूचियाँ

अनुसूची	विषय
1. – अनुसूची →	राज्य एवं संघ + राज्य क्षेत्र के नाम
2. – अनुसूची →	विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते आदि।
3. – अनुसूची →	शपथ के प्रारूप
4. – अनुसूची →	राज्य सभा में स्थानों का आवंटन (बंटवारा)
5 – अनुसूची →	असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
6 – अनुसूची →	असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम के अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
7 – अनुसूची →	संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण

	संघ सूची	राज्य सूची	समवर्ती सूची
कानून बनाने की शक्ति	संसद	राज्य विधान मंडल	दोनों

8 – अनुसूची ⟹ भाषाएँ
- मूल संविधान – 14
- वर्तमान संविधान – २२

9- अनुसूची (1st संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया) ⟶ कुछ विधियों का विधिमान्यीकरण।

10- अनुसूची (52th संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया) ⟹ दल-बदल विरोधी प्रावधान

संविधान की विशेषताएँ

— भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान - आइवर जेनिंग्स

(i) ब्रिटिश विधि शास्त्री आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व के विशालतम संविधान की संज्ञा दी है भारत के संविधान के विशालता के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है।—

• भारत भौगोलिक रूप से विशाल देश है एवं सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से विविधता युक्त है अतः इस विशालता व विविधता से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के समाधान के लिए संविधान में अनेक प्रावधानों का समावेश करना पड़ा है जैसे - संघ

- राज्य क्षेत्रों के विषय में प्रावधान अनुसूचित व जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में प्रावधान आदि।

(ii) भारतीय संविधान पर ऐतिहासिक विरासत की स्पष्ट छाप है। संविधान का लगभग 2/3 भाग नेहरू रिपोर्ट 1928 और भारत सरकार 1935 अधिनियम पर आधारित है ये दस्तावेज

सबसे बड़े दस्तावेज में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 धारायें और 10 अनुसूचियाँ शामिल की यह ब्रिटिश काल का सबसे बड़ा कानून था।

(iii) भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान विदेशी संविधानों से ग्रहण किये गये है लगभग 1 दर्जन देशों के संविधानों के अच्छाइयों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है।

(iv) भारत एक संघीय राज्य है संघीय राज्यों में संघ व राज्यों के संविधान अलग होते हैं जबकि भारत में संघ व राज्यो के लिए एक ही संविधान निर्मित किया गया है।

(v) भारतीय संविधान में अनेक ऐसे प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है जो सामान्यतः संविधान की विषय वस्तु नहीं होती है और अन्य देशों में इन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया है जैसे लोक सेवाओं से संबंधित प्रावधान आदि।

आलोचना :-

जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए वकीलों का स्वर्ग कहा हैं उन्होंने ने संविधान की यह आलोचना निम्नलिखित दो आधारों पर की हैं।

(i) भारतीय संविधान विस्तृत होने के कारण अनेक विवादों को संविधान के दायरे में रह कर उत्पन्न होने का अवसर देता है। जिसका समाधान न्यायालय द्वारा वकीलों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क व दलीलों के आधार पर किया जाता है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

(ii) जेनिंग्स ने संविधान की भाषा शैली को संविधान का दुर्गुण बताया है संविधान की जटिल भाषा शैली सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है और अनेक अवसरो पर यह एक ही अनुच्छेद के अनेक अर्थ या व्याख्या उत्पन्न करती है। संविधान की सही व्याख्या का निर्णय अन्तत: न्यायालय करता है किन्तु न्यायालय वकीलो द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क एवं सबूतों के आधार पर ही ऐसा निर्णय करता है।

भारत का संविधान एक ग्रहीत संविधान है :—

भारतीय संविधान ग्रहीत संविधान है संविधान का लगभग दो तिहाई भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 और नेहरू रिपोर्ट 1928 पर आधारित है इसके अतिरिक्त लगभग 1 दर्जन देशों के संविधान से विभिन्न प्रावधानो को ग्रहण किया गया है।

- इस प्रकार भारतीय संविधान मौलिक रचना नहीं है बल्कि व्यवहारिक रचना है अर्थात यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के स्वतंत्र चिन्तन की उपज नहीं है बल्कि संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानो के प्रावधानों का अध्ययन इस मुल्यांकन के आधार पर किया कि वे प्रावधान सरकारो के संचालन में कितनी सुविधाये और असुविधायें उत्पन्न करते हैं जिन प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त पाया गया उसे संविधान में शामिल किया गया।

- किंतु भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है क्योंकि विभिन्न देशों के संविधान के प्रावधानों को इसी रूप में अपनाया नहीं गया है बल्कि उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित कर व्यापक एवं प्रासंगिक बनाया गया है और संविधान में सम्मिलित किया गया है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

उदाहरणार्थ – नीति निदेशक तत्व की संकल्पना आयरलैण्ड से लिया गया है किंतु भारतीय संविधान में शामिल किये गये ये तत्व आयरलैण्ड की संविधान की तुलना में अत्यन्त व्यापक है।

नम्यता व अनम्यता का मिश्रण :–

नम्य संविधान वह संविधान है जिसमें संशोधन करना अत्यन्त सरल हो जैसे ब्रिटेन का संविधान।

अनम्य संविधान वह संविधान है जिसमें संविधान संशोधन करना जटिल हो जैसे अमेरिका का संविधान।

– भारत का संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की तरह लचीला है न ही अमेरिका की संविधान की भाँति कठोर बल्कि बल्कि संविधान संशोधन के संदर्भ में इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दो तरीके से संशोधन किया जा सकता है।

– विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत कम से आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा (Ratification)

– इसके अतिरिक्त साधारण बहुमत के द्वारा भी संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है किंतु यह इतना लचीला तरीका है कि संविधान में परिवर्तन होने के बावजुद भी इसे संविधान की संज्ञा नहीं देते।

– संविधान में संशोधन की इस व्यापक प्रक्रिया को अपनाने के लिए पंडित नेहरू ने संविधान सभा में तर्क दिया कि हम भारतीय संविधान को गतिशील बनाना चाहते है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

जिससे भविष्य में कार्य करने वाली सरकारें आवश्यकतानुसार संविधान में संशोधन कर सके और संविधान सरकारों के सुविधाजनक संचालन में सहायक हो सके। इस प्रकार संविधान संशोधन का व्यापक अवसर मिलना चाहिए किंतु संविधान संशोधन के अवसर उपलब्ध कराते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकार संविधान संशोधन का दुरुपयोग कर संविधान में मनमाने संशोधन न कर सके। यही कारण है कि इन दोनों विरोधाभासी दृष्टिकोण के मध्य संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनायी गयी है और मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुये इसे नम्यता और अनम्यता का मिश्रण बनाया गया है।

संसदीय शासन प्रणाली Parliamentary System

शासन
- एक व्यक्ति का शासन — एकतंत्र / Monocracy
- सभी व्यक्तियों का शासन — लोकतंत्र Democracy

Direct / प्रत्यक्ष — लोगों की सीधे भागीदारी

Indirect / अप्रत्यक्ष ⇒ प्रतिनिधिक Representative

- संसदीय शासन प्रणाली ⇒ जनक – ब्रिटेन
- अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ⇒ जनक – U.S.A.

Toppersnotes
Unleash the topper in you

- लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन इस प्रकार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जो लोगों की भागीदारी पर आधारित है यह एक लोकप्रिय शासन प्रणाली है यह लोक सम्प्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति लोगों में निहित होती है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है "लोगों का शासन लोगों के लिए लोगों के द्वारा" ।

- जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है अत: लोकतांत्रिक प्रणालियाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में संचालित हैं जिसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी निभाती है।

नोट :-

प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन

Initiative पहल
Recall पुनर्वापसी
Referendum जनमत संग्रह
Plebiscite जनमत संग्रह

पहल :-

इसके अंतर्गत जनता को यह अधिकार है कि वह किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कानून का प्रारूप तैयार कर विधायिका के पास भेज सकती है जनता की इस शक्ति को पहल कहते हैं।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

Recall पुनर्वापसी :-
कार्यकाल पूर्ण होने से पहले किसी चुने गये प्रतिनिधि को वापस बुला लेना पुनर्वापसी कहलाता है और उस व्यक्ति के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को चुन कर भेज दिया जाता है।

Referendum जनमत संग्रह :-
किसी विवाद के समाधान करने या विषय का निश्चय करने के लिए जब लोगों से राय एकत्र की जाए तो यह जनमत संग्रह कहलाता है लोगों की राय ही यहाँ समाधान होती है।

Plebisite :-
किसी विषय पर लोगों की सोच क्या है जब यह मात्र जानने के लिए लोगों की राय एकत्र की जाये तब इसे Plebisite कहा जाता है।

Parlimentary System	Presidential System
1. शक्तियों के लचीला पृथक्करण पर आधारित	1. शक्तियों के कठोर पृथक्करण पर आधारित
2. शक्तियों का समन्वय का सिद्धान्त	2. No.
3. No.	3. अवरोध एवं सतुंलन का सिद्धान्त पाया जाता है।
4. दोहरी कार्यपालिका	4. एकल कार्यपालिका - राष्ट्रपति [राज्य एवं सरकार दोनों का अध्यक्ष]

दोहरी कार्यपालिका:

राज्य का अध्यक्ष	सरकार का अध्यक्ष
भारत - राष्ट्रपति	P.M
ब्रिटेन - ताज	P.M

Toppersnotes
Unleash the topper in you

5. राज्याध्यक्ष एवं सरकार के अध्यक्ष के मध्य भेद	5. NO.
6. मंत्रियों की नियुक्ति - योग्यता / शर्तों पर आधारित	6. NO.
7. NO.	7. मंत्री बनने के लिए राष्ट्रपति के किचेन केबिनेट का सदस्य होना आवश्यक
8. मंत्रियों का उत्तरदायित्व - दोहरा उत्तरदायित्व	8. एकल उत्तरदायित्व - माना राष्ट्रपति के प्रति

उत्तरदायित्व →
- राज्याध्यक्ष के प्रति ⇓ भारत - राष्ट्रपति के प्रति, ब्रिटेन - ताज के प्रति ⇓ व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व
- निम्न सदन के प्रति ⇓ लोक सभा के प्रति — सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व ← House of Common

9. सरकार का कार्यकाल - अस्थिर	9. स्थिर

गुण :-
(i) अधिक उत्तरदायित्व शासन प्रणाली
(ii) शक्तियों के मध्य परस्पर सहयोग अतः टकराव की संभावना क्षीण
(iii) शक्तियों के निरंकुश होने का खतरा नहीं / कम

गुण :-
(i) सरकार का स्थिर कार्यकाल
(ii) प्रभावी निर्णय शक्ति
(iii) राजनीतिक दोष कम
(iv) दल बदल का कोई स्थान नहीं होता

Toppersnotes
Unleash the topper in you

दोष :-
1. सरकार का कार्यकाल अस्थिर
2. राजनैतिक दोष के जन्म के अवसर
3. दल-बदल का दोष
4. सरकार के पास प्रभावी सदंर्भ क्षमता के अवसर कम

दोष :-
1. अपेक्षाकृत कम उत्तरदायी प्रणाली
2. शक्तियों के मध्य टकराव की सम्भावना जन्म लेती है।
3. निरकुंशता की संभावना

भारत में संसदीय प्रणाली के अपनाये जाने के कारण :-

- भारतीयों को किसी प्रणाली में सरकार चलाने का अनुभव नहीं था किंतु ब्रिटिश काल के दौरान विकसित की गयी सरचंना व कार्यप्रणाली संसदीय प्रणाली पर आधारित थी जिसे स्वतंत्रता के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। वस्तुतः व्यवहारिक नजरिये से यही उचित था।

- संसदीय प्रणाली अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना में अधिक उत्तरदायी होती है।

- संसदीय व्यवस्था में सत्ता के शीर्ष पर अनेक अध्यक्षात्मक व्यवस्था की भाँति शक्तियों के टकराव की संभावना नहीं होती।

उपर्युक्त आधारों पर संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाना श्रेष्ठ समझा।

भारत में संसदीय प्रणाली :-

भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था अपनायी गयी हैं हालांकि संविधान में इस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया हैं संविधान के अनुच्छेद 52, 53(1), 74(1), 75(2), 75(3) के संयुक्त

Toppersnotes
Unleash the topper in you

निष्कर्ष के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनायी गई है उच्चतम न्यायालय से संसदीय प्रणाली को संविधान का आधारभूत ढाँचा घोषित किया है।

भारत में संसदीय प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा :—

— संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन कनाडा आस्ट्रेलिया जैसे देशों में सफल रही हैं जबकि भारत में यह अधिक सफल नहीं रही है D.D. बसु, B.N. Shukla जैसे - राजनैतिज्ञों का मानना है कि भारत में संसदीय प्रणाली असफल रही है संसदीय प्रणाली के असफलता के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी रहे हैं। —

1. भारत में राजनीति के नैतिकता में गिरावट।
2. राजनैतिक दलों में अनुशासनहीनता में वृद्धि।
3. राजनीति में तेजी से बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार जैसा कि ऑपरेशन दुर्योधन के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि संसद सदस्य सदन में प्रश्न पूछने के लिए भी लोगों से रिश्वत लेने लगी हैं।
4. राजनीति में अपराधिकरण का प्रवेश जिसने अपराधिकरण की राजनीति का रूप धारण कर लिया है। भारत सरकार के पूर्व ग्रह सचिव N. वोहरा ने अपनी रिपोर्ट में अपराधियों और राजनीतिज्ञों के मध्य गठजोड़ का उल्लेख किया है।
5. राजनीतिक दलों में आन्तरिक लोकतंत्र का अभाव।
6. राजनैतिक दलों एवं राजनेताओं में अनुत्तर उत्तरदायित्व एवं असंवेदनशील में वृद्धि।
7. दलबदल संबंधी दोष जिसने राजनीति में अपने दोषों को जन्म दिया है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

8. जनता के मध्य पर्याप्त जागरूकता का अभाव।
9. जनता की राजनीति एवं सरकार में सक्रिय एवं सकारात्मक भागीदारी का अभाव।

— 1960 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय राजनीति में उपयुक्त पतन के लक्षण दिखाई देने लगे जिसने संसदीय प्रणाली के क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न की। परिणाम स्वरूप राजनीतिज्ञों के एक वर्ग के द्वारा यह माँग की जाने लगी कि संसदीय प्रणाली के असफल होने के बाद भारत में अब इसके स्थान पर अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर अनेक राष्ट्रीय बहस आयोजित किया गया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि यद्यपि भारत में संसदीय प्रणाली में अनेक दोष उत्पन्न हो गये हैं किंतु अध्यक्षात्मक व्यवस्था इसका विकल्प नहीं बन सकती है साथ ही संसदीय प्रणाली में उत्पन्न दोष ऐसी प्रकृति की नहीं हैं जिसका निराकरण न किया जा सके अगर इन दोषों को दूर कर संसदीय प्रणाली को सफल बनाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

S.C. ने भी भारत में संसदीय प्रणाली को संविधान का आधारभूत ढाँचा घोषित किया है।

सुझाव / उपाय :—

* राजनेताओं के लिए कठोर आचार संहिता (Code of Contract) एवं नैतिक संहिता (Code Ethic) विकसित किया जाना चाहिए। इसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने एवं उल्लंघन की दशा में दण्ड देने हेतु एक निष्पक्ष तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

* राजनैतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का विकास किया जाना चाहिए जिन दलों में स्वयं आन्तरिक लोकतंत्र न हो उन पर चुनाव लड़ने। निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

* राजनैतिक दलों एवं राजनेताओं में जवाबदेही एवं संवेदनशीलता का विकास किया जाना चाहिए।

* राजनैतिक दलों के आय-व्यय एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों की पारदर्शी बनाया जाना चाहिए राजनैतिक दलों द्वारा इस प्रकार की अनेक घोषणायें स्वतः सार्वजनिक की जानी चाहिए तथा राजनैतिक दलों की सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

* राजनैतिक भ्रष्टाचार पर कठोरता के साथ अंकुश लगाया जाना चाहिए।

* राजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोका जाना चाहिए इसके लिए कानूनों एवं न्यायिक प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए।

* दल-बदल संबंधित प्रावधानों के दोषों को दूर किया जाना चाहिए जिससे इसका दुरुपयोग रोका जा सके। जैसे - दल-बदल के संदर्भ में अयोग्यता संबंधित कोई निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिया जाना चाहिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी।

* जनता के मध्य जागरूकता का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए सिविल समाज के संगठनो आदि की भूमिका पर बल दिया जाना चाहिए।

* राजनीति एवं सरकार मे लोगो की सक्रिय एवं सकारात्मक भागीदारी के लिए इन्हे शिक्षा प्रेरणा आदि दी जानी चाहिए।

Que. भारत में संसदीय लोकतंत्र के कार्यान्वयन मे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है वस्तुत: इन चुनौतियो ने इसे असफलता के द्वार पर ला खड़ा किया है इस कथन के आधार पर भारत मे संसदीय लोकतंत्र के क्रियान्वयन का परिक्षण करें।

Que. संसदीय एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना करते हुए वे क्या कारण थे जिसके आधार पर संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अध्यक्षात्मक प्रणाली को भारत मे अपनाने के लिए श्रेष्ठ समीक्षा स्पष्ट करें।

Que. संसदीय प्रणाली एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली का तुलनात्मक विशेषणात्मक → प्रस्तुत करे।

Que. भारत में संसदीय लोक प्रणाली के असफल होने के कारणो का उल्लेख करे।

Que. उन उपायो का रोड़ मेप तैयार करे जिसके आधार पर भारत के संसदीय प्रणाली मे विद्यमान दोषो का निराकरण किया जा सकता है।

Topper'snotes
Unleash the topper in you

quy. ब्रिटेन, कनाडा आदि देशो की तुलना के आधार पर भारत मे ससंदीय प्रणाली असफल है जबकि उन देशो मे अपेक्षा कृत सफल हैं टिप्पणी करे।